झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा

झारखण्ड की सामूहिक संस्कृति का साझा मंच

घोषणा-पत्र

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखण्डी लेखकों, भाषाविदों, साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, संस्कृतिकर्मियों और बुद्धिजीवियों का संगठन है. आदिवासी राष्ट्रीयता, झारखण्डी पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्प्रतिष्ठित करना तथा झारखण्ड का सामाजिक पुनर्गठन इसका लक्ष्य है. इसके गठन का उद्देश्य झारखण्डी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण, संवर्द्धन और विकास करना है. झारखण्डी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता एवं वृहत्तर झारखण्ड के सभी राज्यों (उड़ीसा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़) में राजभाषा का दरजा दिलाना, प्राथमिक स्तर से झारखण्डी भाषाओं में पढ़ाई शुरू करने के लिए समाज को जागृत, संगठित करना संगठन का प्राथमिक उद्देश्य व कार्यभार है. झारखण्डी मूल्यों, सांस्कृतिक स्वाभिमान, सामुदायिक आत्मनिर्भरता एवं भाषायी गौरव-बोध से संपृक्त सशक्त व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा समाज का साहित्यिक परिष्कार तथा केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों पर दबाव बनाना ही झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की मूल चिंता है.

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का विश्वास है कि मातृभाषाएं तथा लोक कलाएं किसी भी समाज अथवा समुदाय के मूल्यों और जीवन-दर्शन की प्राथमिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां होती हैं और इनका संरक्षण, संवर्द्धन और विकास कर के ही समुदाय, समाज व राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है. इसीलिए झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का यह दृढ़ विश्वास है कि मातृभाषाओं, समस्त झारखण्डी साहित्य तथा लोक कलाओं/परंपराओं के संरक्षण एवं वैज्ञानिक विकास के द्वारा ही झारखण्ड का सांस्कृतिक पुनर्निमाण संभव है.

भारत के राष्ट्रीयता आंदोलन में झारखण्डी जनता की राष्ट्रीयता की पहचान, सामाजिक पुनर्गठन और विकास, दीर्घकालीन झारखण्ड आंदोलन के तीन प्रमुख सवाल हैं जिनसे झारखण्ड की उत्पीड़ित जनता पिछले 250 वर्षों से लगातार जूझ रही है. औपनिवेशिक काल से आंतरिक उपनिवेश के दौर तक यह चिंता राजनीतिक रूप में झारखण्ड आंदोलन के बतौर प्रस्फुटित होती रही है. इस अर्थ में झारखण्ड का राजनीतिक आंदोलन मूलतः देशज अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और भाषायी स्वतंत्रता का आंदोलन है. औपनिवेशिक लूट ने न केवल झारखण्ड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को छिन्न-भिन्न किया है बल्कि देशज भाषा और सांस्कृतिक पहचान को भी गहरे संकट में डाल दिया है. इस संकट के फलस्वरूप झारखण्डी भाषाओं के संरक्षण और विकास तथा मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का मुद्दा फिर से केन्द्र में है क्योंकि झारखण्ड क्षेत्र की तरह ही झारखण्ड की देशज भाषा-संस्कृति की मूल समस्या भी अस्तित्व, पहचान और विकास की है. जिस तरह यह पूरा क्षेत्र जातीय एवं वर्गीय शोषण का शिकार रहा है, उसी तरह इसकी भाषा और संस्कृति भी. लिहाजा, झारखण्डी समाज की सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता का यह सवाल आदिवासी एवं देशज भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के साथ जुड़ा हुआ है.

संक्रमण और पुनर्जागरण के दौर से गुजरती झारखण्डी भाषाओं के शोध, अध्ययन, संकलन, सृजन और प्रकाशन की आवश्यकता आज सबसे बड़ी है. प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक झारखण्डी भाषाओं की प्रतिष्ठा, संवैधानिक मान्यता तथा भाषा-साहित्य अकादमी का गठन एवं संचालन झारखण्डी जनता की प्राथमिक आवश्यकता है. जातीय विकास के संदर्भ में झारखण्डी जन भाषाओं के जातीय स्वरूप के विकास में लिपिगत और वर्ण विन्यास की समस्याओं का सर्वसम्मत वैज्ञानिक समाधान ढूंढना भी झारखण्ड के जातीय स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सबसे आवश्यक कार्यभार है.

सरकारी उपेक्षा, सामाजिक भेदभाव तथा थोपे गए सांस्कृतिक मूल्यों के कारण झारखण्ड के 2 करोड़ से भी अधिक आदिवासी, देशज तथा स्थानीय लोगों की भाषायी एवं जातीय अस्मिता विकास और पहचान संकट में है. लम्बे समय से सरकारी घोषणाओं के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा में झारखण्डी भाषाओं की पढ़ाई का सवाल, सरकारी कार्यों में व्यवहार का सवाल तथा एक सर्वसम्मत वैज्ञानिक लिपि के निर्माण का सवाल, झारखण्डी भाषाओं के विकास में सबसे बड़ी समस्या है.

चिंताजनक बात यह है कि औपनिवेशिक और स्वतंत्र, दोनों ही भारत में झारखण्डी भाषाओं की उपेक्षा की गई और इनके स्वाभाविक विकास को बाधित किया गया. भारतीय संविधान के स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रावधानों के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने झारखण्डी भाषा-संस्कृति के संरक्षण और विकास की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया. हालांकि आजादी के बाद आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए राजनीतिक अधिकार के झारखण्ड आंदोलन जिसके अंतर्सूत्र सांस्कृतिक अस्मिता और भाषायी पहचान में निहित थे, के दबाव में सरकारी स्तर पर झारखण्डी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए कुछ ठोस कदम जरूर उठाए गए.

सामुदायिक स्तर पर भी भाषा-साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए कई उल्लेखनीय प्रयास हुए. साठ के दशक में झारखण्डी भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी में भी कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ. झारखण्डी भाषाएं संगठित होने लगीं. भाषा परिषदों का गठन होने लगा. झारखण्ड की सभी भाषाओं में आधुनिक शिष्ट साहित्य की अभिनव विधाओं में रचनाएं होने लगीं. अनुसंधान कार्य भी विधिवत् शुरू हुए. लिपि के विकास पर विशेष पहल ली गई और एक व्यापक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन की शुरूआत हुई. यह भारत में आदिवासी पुनर्जागरण (रेनेसां) का दौर है और इसकी शुरूआत का श्रेय बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में गुरु गोमके पं. रघुनाथ मुर्मू, प्यारा केरकेट्टा, आदिवासी महासभा के संस्थापक इग्नेस बेक और कोल गुरु लाको बोदरा द्वारा किये गये सांस्कृतिक आंदोलनों को है. इन आंदोलनों के फलस्वरूप ही संताली में 'ओलचिकी' तथा हो में 'वारंगक्षिति' लिपि सामने आ पायी. भाषा, लिपि और साहित्य के इन संगठित प्रयासों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नये दौर की शुरूआत हुई जिससे राजनीतिक चेतना में भी नई स्फूर्ति आई.

लेकिन, 1990-91 के आते-आते दलगत राजनीतिक संकीर्णता और वर्चस्व के मोह से झारखण्डी राजनीति गतिरोध का शिकार हो गई. राजनीतिक दलों और सांस्कृतिक संगठनों में बिखराव आ गया. भाषा-साहित्य और संस्कृति के विकासमूलक कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा और सांस्कृतिक आंदोलन ठहर-सा गया.

लिहाजा, यह जरूरी है कि इस सांस्कृतिक ठहराव को तोड़ने के लिए भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण तथा विकास कार्यों को फिर से गति दी जाए. सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा सामाजिक पुनर्गठन के लिए भाषा एवं लिपि विषयक कार्यभार को पुनः संगठित किया जाए. वृहत्तर झारखण्ड के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु मातृभाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा की गारण्टी के लिए जन-दबाव बनाया जाए.

मातृभाषा के अभाव में जाति या समाज की चेतना कुंद हो जाती है. समृद्ध और मार्जित मातृभाषा जातीय विकास का बुनियादी कारक ही नहीं, मानक भी है. झारखण्ड की देशज भाषाएं जातीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान की शर्त है. इस शर्त को पूरा किये बिना सांस्कृतिक विरासत, आत्मनिर्णय के अधिकार और झारखण्डी गणतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती.

सामुहिक सहभागिता और जीवन-दर्शन पर आधारित झारखण्डी मूल्यों के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती साम्राज्यवाद, आंतरिक उपनिवेशवाद, बाजारवाद, नव-पूंजीवाद, दलाल दिकू संस्कृति, सामंती मूल्यों तथा सांप्रदायिकता की है. झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की स्पष्ट मान्यता है कि एक सशक्त व निर्णायक सांस्कृतिक जनांदोलन के जरिए ही इन्हें शिकस्त दी जा सकती है. इस निर्णायक संस्कृति जनांदोलन की पहली शर्त झारखण्डी समाज की व्यापक भाषायी एवं सांस्कृतिक एकजुटता है. इसके लिए झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा वृहत्तर झारखण्ड में बिखरे झारखण्डी समाजों की व्यापक भाषायी एवं सांस्कृतिक एकता पर जोर देता है. झारखण्डी जीवन-दर्शन और मूल्यों पर आधारित समतामूलक झारखण्डी समाज के नवनिर्माण के लिए अपने आपको समर्पित करता है.

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा भारत के तमाम दलित, महिला, मजदूर, किसान, छात्र, अल्पसंख्यक एवं अन्य उत्पीड़ित समुदायों के मुक्ति संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, उनके संघर्षों एवं जनांदोलनों को अपना समर्थन देता है. एक मजबूत सांस्कृतिक जनांदोलन के उभार के लिए संघर्ष की साझेदारी हेतु स्वयं को प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए चल रहे जनांदोलनों के साथ अपने आपको एकताबद्ध करता है.

आदिवासी राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक अस्मिता और झारखण्डी पहचान के लिए झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा अपनी मूल दिशा, प्रेरणा और ऊर्जा झारखण्डी मूल्यों, जीवन-दर्शन, पुरखा लड़ाकों व पूर्वजों, 250 वर्षों के शहादतों से भरे झारखण्ड आंदोलन तथा राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्षरत उत्पीड़ित समुदायों के क्रांतिकारी वाम-जनवादी आंदोलनों से ग्रहण करता है.

बुनियादी कार्यक्रम

1. औपनिवेशिक सांस्कृतिक दासता से मुक्त झारखण्डी मूल्यों और जीवन-दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक झारखण्ड का नवनिर्माण.
2. झारखण्ड की भाषायी और सांस्कृतिक एकता के आधार पर सामाजिक पुनर्गठन.
3. झारखण्ड की सभी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूचि के तहत भाषा का दरजा दिलाना.
4. वृहत्तर झारखण्ड से संबद्ध उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में झारखण्डी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए प्रयास करना तथा उन्हें पुनर्प्रतिष्ठित करना.
5. झारखण्डी संस्कृति, लोक कला एवं लोक परंपराओं का संरक्षण, संवर्द्धन एवं उनका विकास करना.
6. झारखण्डी इतिहास की पुनप्रतिष्ठा एवं पुनर्लेखन.
7. झारखण्डी स्वाभिमान, जनतंत्र और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन.
8. औपनिवेशिक दासता, राजकीय दमन और दलाल दिकू संस्कृति के खिलाफ भारत में चल रहे दलित, मजदूर, किसान, छात्र, अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी एवं वाम-जनवादी आंदोलनों के साथ एकताबद्ध हो कर समतामूलक समाज-राष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्ष की साझेदारी करना
9. एकीकृत और सर्वमान्य झारखण्डी लिपि का पुनर्सृजन करना.
10. झारखण्डी साहित्यकारों, संस्कृतिकर्मियों एवं भाषाविदों का डाटा बेस (निर्देशिका) तैयार करना.
11. झारखण्डी लोक संस्कृति के विविध रूपों एवं विधाओं के अध्ययन, संकलन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना.
12. झारखण्डी भाषाओं के मानक स्वरूप निर्माण तथा एकीकृत लिपि के विकास के लिए अनुसंधान एवं अध्ययन.
13. झारखण्डी भाषा एवं सांस्कृतिक अध्ययन, शोध और आलेखन केन्द्र की स्थापना करना.

अखड़ा निम्नांकित जनमुद्दों एवं जनांदोलनों के साथ एकजुटता जाहिर करता है

1. जल, जंगल, जमीन, वनोपज, खनिज और तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक के लिए.
2. आदिवासी राष्ट्रीयता और पहचान के लिए.
3. सामंतवाद, नव-पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खात्मे के लिए चल रहे आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक एवं तमाम उत्पीड़ित समुदायों तथा वाम-जनवादी आंदोलनों के साथ.
4. रंग, नस्ल, जाति, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ.
5. वास्तविक जनतंत्र की स्थापना और मानवाधिकारों के लिए.
6. आर्थिक, भाषायी, लिंगगत भेदभाव के खिलाफ.
7. मनुष्यता के हित में प्रकृति द्वारा प्रदत्त वायु, जल, जमीन आदि के निजीकरण एवं बाजारीकरण के खिलाफ
8. सामरिक प्रवृतियों और युद्ध के खिलाफ.
9. भारत की समस्त आदिवासी राष्ट्रीयताओं और दलित-महिला एवं अल्पसंख्यक समुदायों की भाषायी व सांस्कृतिक पहचान के लिए.

तात्कालिक मांगें

1. झारखण्डी भाषाओं को राजभाषा का दरजा दिया जाए.
2. त्रिभाषा फार्मूला के तहत मातृभाषा/हिंदी/अंग्रेजी में अध्यापन हो.
3. प्राथमिक स्तर से झारखण्डी भाषाओं में शिक्षा और इस हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हो और इसमें स्थानीय/जनजातीय/दलित/महिला व अन्य सीमांत समुदायों को प्राथमिकता दी जाए.
4. झारखंडी मूल्यों पर आधारित एकरूप पाठ्यक्रम लागू किया जाए.

5. झारखण्डी साहित्यकारों, कलाकारों, संस्कृतिकर्मियों एवं भाषाविदों का डाटा बेस (निर्देशिका) तैयार किया जाए.

6. 'आदिवासी' एवं 'होड़ संवाद' पत्रिकाओं का नियमित मासिक प्रकाशन अविलंब शुरू हो.

7. केन्द्रीय झारखण्डी भाषा-साहित्य अकादमी का गठन किया जाये और इसके साथ ही भाषावार साहित्य अकादमियां भी गठित की जाए.

8. आदिम जन-जातियों के भाषायी संरक्षण एवं विकास के लिए अलग से निकाय गठित हो तथा तत्काल उनका भाषायी सर्वेक्षण किया जाए.

9. आदिवासी शोध संस्थान को स्वायत्त बनाया जाए.

10. प्रदर्श्यकारी कला संस्थान एवं संग्राहलय स्थापित किया जाए.

11. झारखण्डी इतिहास और झारखण्ड आंदोलन पर आंदोलनकारियों एवं इतिहासकारों के एक संयुक्त पैनल के द्वारा पुनर्लेखन हो.

12. आदिवासियों के पवित्र व पूजनीय स्थलों, समाधि इत्यादि की पवित्रता, सुरक्षा और संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाए.

13. खनन/उद्योग से नष्ट होते ऐतिहासिक-पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाए.

14. शहर के प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण ऐतिहासिक महानायकों, झारखण्डी शहीदों और प्रतीकों के नाम पर किया जाए तथा प्रतिमाएं स्थापित हों.

15. सभी झारखण्डी पर्व-त्यौहारों पर अवकाश घोषित हो.

16. खेल को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय स्तर पर खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य हो एवं खेल प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जिलावार विस्तार किया जाए.

17. झारखंड में अब तक घटित मानवाधिकार हनन के सभी मामलों का पुनर्निरीक्षण हो, और इसके लिए विशेष जांच आयोग गठित किया जाए.

18. देशज चिकित्सा पद्धति (होड़ोपैथी) को मान्यता देते हुए इसके शोधकर्ताओं एवं चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया जाए तथा राज्य व जिला स्तरों पर देशज चिकित्सा केन्द्र एवं शोध संस्थान की स्थापना हो.

19. रेडियो, दूरदर्शन, संचार के सभी माध्यमों की क्षमता का पूरे झारखंड में विस्तार व स्थानीय कार्यक्रमों की अवधि बढ़ायी जाए.

20. राज्य में प्रखण्ड स्तर तक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र स्थापित किया जाए.

21. झारखण्ड महिला आयोग का गठन हो.

22. केंद्रीय अधिनियम के तहत राज्य में सूचना के अधिकार के कानून को पारित व लागू किया जाए.

23. परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी जाए.

24. जंगल में रहने वाले समुदायों को जंगल का पूर्ण स्वामित्व और पट्टा दिया जाए.

25. वर्तमान सीएनटी व एसपीटी एक्ट को मूल रूप में बहाल किया जाए. 1993 की तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा सीएनटी एक्ट में किये गये संशोधन को निरस्त किया जाए.

26. आजीविका, समुदाय व पर्यावरण को प्रभावित करने वाले खनन व उद्योग पर रोक लगायी जाए.

27. किसी भी परियोजना के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण न हो और अगर अधिग्रहण जरूरी ही हो, तो न्यूनतम हो तथा उसके लिए भी उनकी सहमति आवश्यक हो.

28. सरकार बेदखल व विस्थापित लोगों के संपूर्ण पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास नीति बनाये तथा कानून लागू करे।

29. आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर पलायन पर रोक लगायी जाए.

30. पलायन नियंत्रण व पलायितों की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा बने.

31. झारखण्ड आंदोलन के शहीदों के परिजनों को स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला समुचित सम्मान, सुविधा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

32. झारखण्डी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए फिल्म विकास एवं वित्त निगम बनाया जाए और उन्हें 'कर मुक्त' किया जाए.

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा

संविधान

नाम

संगठन का नाम झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा होगा.

झण्डा

इसका झण्डा आयताकार और हरे रंग का होगा जिसमें नगाड़ा बजाते पुरुष व तीर लिए स्त्री का सफेद रंग से बना रेखाचित्र अंकित होगा जो कि झारखण्डी अभिव्यक्ति, संस्कृति तथा संघर्ष का प्रतीक होगा.

प्रतीक चिन्ह्

नगाड़ा बजाते पुरुष व तीर लिए स्त्री का रेखाचित्र संगठन का प्रतीक चिन्ह् होगा.

मुखपत्र

संगठन का मुखपत्र 'झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा' होगा. इसकी अवधि त्रैमासिक होगी और इसे देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाएगा.

सदस्यता

कोई भी बालिग झारखण्डी नागरिक अथवा भाषायी, साहित्यिक, सांस्कृतिक संगठन जिनकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूचि झारखण्डी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं लोक कलाओं में है, और जो झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के संविधान तथा उद्देश्यों को स्वीकार करते हों, वे झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सदस्यता दो प्रकार की होगी :

1. व्यक्तिगत सदस्यता
2. सांगठनिक सदस्यता

सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

(i) सदस्यों को चयन करने एवं चुने जाने का अधिकार होगा.

(ii) सदस्यों को झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का मुखपत्र और सभी तरह के संगठनिक दस्तावेजों, परिपत्रों को पाने का अधिकार होगा.

(iii) व्यक्तिगत सदस्यों को 20/- रु. प्रति वर्ष एवं सांगठनिक सदस्यों को 250/- रु. प्रति वर्ष निर्धारित सदस्यता शुल्क और सदस्यता नवीनीकरण शुल्क देना अनिवार्य होगा.

सदस्यता नवीनीकरण

सभी व्यक्तिगत एवं सांगठनिक सदस्यों को सदस्ता नवीनीकरण अभियान के दौरान निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण कराने का अधिकार होगा.

अनुशासनात्मक कर्रवाई

(i) निर्धारित अवधि के भीतर सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.

(ii) झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के संविधान एवं झारखण्डी संस्कृति के विरूद्ध कार्य करने पर तथा जनविरोधी गतिविधियों में शामिल सदस्यों का निलंबन और सदस्यता खारिज करने का अधिकार संगठन को होगा.

(iii) जिन सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत की गई हो, संगठन के सक्षम समितियों को उच्च समितियों

(जैसे कि जिला अखड़ा (समिति) को क्षेत्रीय अखड़ा (समिति) से और क्षेत्रीय अखड़ा (समिति) को केन्द्रीय अखड़ा (समिति) से) द्वारा मंजूरी मिलने पर लिखित रूप में उनके खिलाफ 'कारण बताओ' नोटिस पाने का अधिकार होगा.

सांगठनिक ढांचा

1. प्रतिनिधि अखड़ा (आम सभा)

(i) संगठन का यह सर्वोच्च निकाय होगा जिसे कि नीतियां और कार्यक्रम बनाने तथा संविधान में संशोधन अथवा परिवर्तन का अधिकार होगा.

(ii) प्रतिनिधि अखड़ा (आम सभा) प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होगी और इसमें सिर्फ क्षेत्रीय/जिला समितियों द्वारा चयनित सदस्य प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय अखड़ा (केन्द्रीय परिषद्) द्वारा जिला/क्षेत्रीय/प्रादेशिक/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय के विशेष आमंत्रित व्यक्तियों, पर्यवेक्षकों एवं संगठनों के लोगों को ही भाग लेने का अधिकार होगा.

(iii) प्रतिनिधि अखड़ा (आम सभा) को पिछली गतिविधियों, कार्यक्रमों, मसविदा दस्तावेजों एवं वित्तीय रिपोर्ट को पाने, इनकी समीक्षा, आलोचना और इन पर बहस एवं सवाल करने का अधिकार होगा.

(iv) प्रतिनिधि अखड़ा (आम सभा) को केन्द्रीय अखड़ा (केन्द्रीय परिषद्) को चुनने का अधिकार होगा.

2. केन्द्रीय अखड़ा (केन्द्रीय परिषद्)

(i) केन्द्रीय अखड़ा की सदस्य संख्या का निर्धारण प्रतिनिधि अखड़ा द्वारा होगा.

(ii) दो प्रतिनिधि अखड़ा के बीच केन्द्रीय अखड़ा सर्वोच्च नीति एवं कार्यक्रम निर्धारक निकाय होगा.

(iii) केन्द्रीय अखड़ा नीतियां, कार्यक्रम और संगठन द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करेगी.

(iii) केन्द्रीय अखड़ा को संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य और दिशा को छोड़कर दो तिहाई (2/3) बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन व परिवर्तन का अधिकार होगा.

(iv) केन्द्रीय अखड़ा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित होगी और इसे केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी तथा उसके पदाधिकारियों को चुनने का अधिकार होगा.

3. केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी (केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति)

(i) केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी की संख्या और इसका आकार केन्द्रीय अखड़ा द्वारा तय किया जाएगा.

(ii) दो केन्द्रीय अखड़ा के बीच केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी सर्वोच्च नीति एवं कार्यक्रम निर्धारक निकाय होगा.

(iii) केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी की कोरम हेतु कार्यकारिणी की आधी संख्या की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(iv) केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी को पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों एवं विभागों के वितरण का अधिकार होगा.

(v) केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी को आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति गठित करने का अधिकार होगा.

4. संगठन के पदाधिकारी

संगठन के पदाधिकारियों में महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, कार्यालय सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता के पद होंगे. अध्यक्ष एवं महासचिव दोनों ही संयुक्त रूप से संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अध्यक्ष

(i) झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के अध्यक्ष संगठन के संवैधानिक प्रमुख होंगे.

(ii) झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के केन्द्रीय अखड़ा एवं केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करने और मार्गदर्शन देने का दायित्व निर्वहन करेंगे.

(iii) चुनाव के समय अध्यक्ष को निर्णायक मत (वीटो पावर) देने का अधिकार होगा.

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्णायक मत के अधिकार को छोड़कर अध्यक्ष के सभी अधिकार एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

महासचिव

(i) झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का महासचिव संगठन का प्रमुख कार्यकारी एवं वित्त नियंत्रक होगा.

(ii) महासचिव को झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के केन्द्रीय अखड़ा एवं केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी की बैठकों का संचालन करने तथा प्रत्येक बैठकों में सांगठनिक रिपोर्ट रखने का अधिकार व दायित्व होगा.

सचिव

केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी द्वारा दिए गये दायित्वों के निर्वहन का अधिकार होगा.

कोषाध्यक्ष

(i) कोषाध्यक्ष संगठन का वित्त प्रमुख होगा.

(ii) कोषाध्यक्ष पर संगठन की प्रतिनिधि अखड़ा, केन्द्रीय अखड़ा और केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी की सभी बैठकों में (आवश्यकता हो तो सक्षम अंकेक्षक से अंकेक्षण करा कर भी) वित्तीय रिपोर्ट रखने का दायित्व होगा.

प्रवक्ता

यह संगठन का आधिकारिक प्रवक्ता होगा और इसे ही अध्यक्ष एवं महासचिव के अतिरिक्त तथा उनकी सलाह पर संगठन की ओर से कोई भी बयान, विज्ञप्ति आदि जारी करने का अधिकार होगा.

बुनियादी ढांचागत संरचना

झारखण्डी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की ढांचागत संरचना इस प्रकार होगी :

प्रतिनिधि अखड़ा

प्रतिनिधि अखड़ा का गठन सभी व्यक्तिगत एवं सांगठनिक सदस्यों को मिलाकर होगा और इसका अधिवेशन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा.

केन्द्रीय अखड़ा

केन्द्रीय अखड़ा का गठन/निर्वाचन प्रतिनिधि अखड़ा द्वारा होगा.

केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी

केन्द्रीय अखड़ा कार्यकारिणी का गठन/निर्वाचन केन्द्रीय अखड़ा द्वारा होगा.

क्षेत्रीय अखड़ा (समिति)

क्षेत्रीय अखड़ा का गठन/निर्वाचन क्षेत्रीय सम्मेलनों (दो वर्ष में एक बार आयोजित) द्वारा होगा.

जिला अखड़ा (समिति)

जिला अखड़ा का गठन/निर्वाचन जिला स्तरीय सम्मेलनों (प्रति वर्ष आयोजित) द्वारा होगा.

प्रखण्ड अखड़ा (समिति)

प्रखण्ड अखड़ा का गठन/निर्वाचन प्रखण्ड स्तरीय सम्मेलनों (प्रति वर्ष आयोजित) द्वारा होगा.

गांव अखड़ा (समिति)

गांव अखड़ा का गठन/निर्वाचन गांव स्तरीय सम्मेलनों (प्रति वर्ष आयोजित) द्वारा होगा.

शहर अखड़ा (समिति)

शहर अखड़ा का गठन/निर्वाचन शहर स्तरीय सम्मेलनों (प्रति वर्ष आयोजित) द्वारा होगा.

स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय अखड़ा (समिति)

स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय अखड़ा का गठन/निर्वाचन स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मेलनों (प्रति वर्ष आयोजित) द्वारा होगा.